

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राज्यपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23092025-266314
SG-DL-E-23092025-266314

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]
No. 280]

दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947
DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 241
[N. C. T. D. No. 241

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सं. 11/2025-राज्य कर (दर)

फा. सं. 3(23)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/926.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/373 के द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 03/2017- राज्य कर (दर) के द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं।

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 को लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मंगेज सिंह, उप-सचिव

मूल अधिसूचना संख्या 03/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 30 जून, 2017 की फा० सं० 3(15)/वित्त(राज०-१)/2017-18/डीएस-VI/382, के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार फा० सं० 3(20)/वित्त(व्यय०-१)/2022-23/डीएस-VI/820 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 08/2022-राज्य कर (दर) के द्वारा संशोधित किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2025

No. 11/2025-State Tax(Rate)

F. No. 3 (23)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/926.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 in the notification No.03/2017-State Tax (Rate), dated the 30thJune, 2017, published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/373, dated the 30thJune, 2017, namely,

in the said notification, in the TABLE, against S.No. 1, for the entry in column (4), the entry “9%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy

The principal notification No. 03/2017-State tax (rate), dated the 30thJune, 2017 was published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, section 3, sub- section(i), vide number F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30thJune, 2017 and was last amended, by notification No.08/2022-State tax (rate), Dated the 12th October,2022 ,published in the Gazette of NCT of Delhi, extraordinary, Part IV, Section 3, sub-section(i), vide number F.3(20)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/820.